निगरानी / टी.ए. / 1861 / 2004 / बारां
शिवराम बनाम जगदीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी
श्री रामसुख चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 22.3.2022

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील संख्या 510 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 25–3–2004 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि ग्राम रटावद तहसील बारां में खसरा नंबर 130 रकबा 2.82हेक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व कागजात में रामदयाल पुत्र मोतीलाल जाति मीना के नाम दर्ज थी। जिसका बेचान रामदयाल द्वारा दिनांक 9–6–78 को मांगीलाल पुत्र धूलीलाल जाति भील के नाम रजिस्टर्ड बेचाननामा किया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19–9–2001 को एक रिपोर्ट लगायी गई है कि मांगीलाल पुत्र धूलीलाल व केसरीलाल पुत्र चुन्नीलाल भील नाम के कोई व्यक्ति नहीं रहते है इन लोगों की जाति बारेठ है तथा उन्होंने जाति बदलकर भील जाति के व्यक्ति होना बताकर गलत रूप से रजिस्ट्री करवाई है। जिस पर तहसीलदार बारां द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उनका तर्क है कि केसरीलाल वगैरह ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र लगाया, जिस पर उपजिला कलक्टर बारां ने दिनांक 14 / 15–7–2002 को यह आदेश दिया कि यदि खातेदार 1000 / –रूपए प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से अमानत राशि तहसीलदार बारां के यहां जमा करा दें तो काश्त कर सकेंगे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय दिनांक 25–3–2004 द्वारा विचारण न्यायालय के रिसीवर नियुक्ति संबंधी आदेश को यथावत रखा, चूंकि इस प्रकरण में वर्तमान खातेदार केसरीलाल व मांगीलाल भील है तथा इस नाम के कोई व्यक्ति उस गांव में मौजूद ही नहीं हैं। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रकार का गलत आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि केसरीलाल के नाम ग्राम चुरेलिया के खसरा नंबर 288 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि है तथा इसकी जाति राव दर्ज है। इस कारण विपक्षी को विवादग्रस्त आराजी में कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थी लंबे समय से विवादग्रस्त आराजी पर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है और इतनी भारी केश सिक्यूरिटी राशि लगाकर प्रार्थी को बेदखल करने के समकक्ष आदेश पारित किये हैं, जो किसी भी रूप में कानून समर्थित नहीं कहे जा सकते हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का बहस में कथन है कि रामदयाल द्वारा विवादित आराजी का बेचान अप्रार्थी को किया गया था, तब से अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा आराजी को इन मीडियो मानते हुए केश सिक्यूरिटी का आदेश दिया है जो दोनों पक्षों के हित में है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बेचान के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से जांच कर निर्णय किये जाने तक विचारण न्यायालय के रिसीवर नियुक्त करने संबंधी आदेश को यथावत रखा है, जो न्यायोचित है। अतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जगदीश, मुरली, मांगीलाल ने उप जिला कलक्टर बारां के न्यायालय में शिवराज के विरूद्ध धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि वे विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 2.82हैक्टर के खातेदार हैं। उक्त आराजी हमने जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त आराजी उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। विपक्षी शिवराज, प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करना चाहता है। अतः विपक्षी शिवराज को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। इस प्रार्थना पत्र का शिवराज ने विरोध किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि केसरीलाल पुत्र चुन्नीलाल भील नाम का कोई व्यक्ति गांव रटावद में नहीं रहता है, केसरीलाल की जाति राव (बारेठ) है तथा प्रार्थी ने अपनी जाति छुपाकर दावा पेश किया है। पटवारी हल्का को जांच सौंपी गई थी, जिस पर ग्राम रटावद के खसरा नंबर 95, 96 के हाल खसरा नंबर 129, 130, 131, 135 रकबा 3.09 की जांच में पटवारी द्वारा अंकित किया कि रामदयाल पुत्र मोतीलाल मीणा द्वारा इस भूमियों का बेचान दिनांक 9–6–78 को मांगीलाल पुत्र धूलीलाल भील के नाम किया गया है जबकि ग्राम रटावद में मांगीलाल पुत्र धूलीलाल भील नामक कोई व्यक्ति नहीं रहता है तथा एक ही व्यक्ति ने अपनी दो जातियां लिखवाकर कानून के साथ धोखाधडी की है। वादग्रस्त आराजी शिवराज के पिता के खाते की है तथा प्रार्थीगण फर्जी रजिस्ट्रियों के आधार पर इन भूमियों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 14 / 15–7–2002 द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 2.82 हैक्टर वाके ग्राम रटावद पर तहसीलदार बारां को रिसीवर नियुक्त करते हुए खातेदार द्वारा 15 योम के भीतर उक्त आराजी की काश्त बाबत 1000 / –रूपए प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से अमानत राशि तहसीलदार बारां के यहां	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमा कराने पर काश्त करने की छूट प्रदान की अन्यथा तहसीलदार बारां द्वारा उक्त आराजी पर बहक रिसीवर कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार काश्त व्यवस्था करने का आदेश दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 25–3–2004 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने संबंधी आदेश की क्रियान्विती को यथावत रखा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय को इस तथ्य की विस्तृत रूप से जांच करने हेतु निर्देशित किया कि अपीलांट / प्रार्थी के पिता द्वारा जो बेचान रेस्पोडेन्ट / अप्रार्थी के हक में किया गया है, वह अनियमित तरीके से तो नहीं किया गया है। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से जांच करने के उपरांत ही अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जायेगा। तब तक विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त करने संबंधी निर्णय की क्रियान्विती को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखा है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं उसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–3–2004 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	